न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस., (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन संख्या : 36/2026
सी.आई.एस. नंबर : 29/2026

01. रामेश्वर प्रसाद उर्फ राजू पुत्र श्री शिम्भूदयाल मीना निवासी नांगलधर्मू पुलिस थाना राजगढ, जिला अलवर (राज.) **.....प्रार्थी/अभियुक्त**

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ जिला अलवर।

"प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87/2026 पुलिस थाना राजगढ, अलवर अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 118(2)/49 भारतीय न्याय संहिता

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.

उपस्थित :

(1) विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश जांगिड, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
(2) विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राहुल दीक्षित, राज्य की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांकः 17 मार्च, 2026**

01. प्रार्थी/अभियुक्त रामेश्वर प्रसाद उर्फ राजू की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। केस डायरी तलब की गयी।

02. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

03. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी रामधन द्वारा दिनांक 11.02.2026 को एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ, अलवर में इन तथ्यों की पेश की गई कि, "दिनांक 08.02.2026 को समय शाम के 5 से 5.30 बजे करीब उसका लडका चेतराम जो दण्ड के रास्ते में खडा था तो अनुप (सायर) पुत्र महेश मीना गंदी–गंदी गाली–गलौच करने लगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इतने में अनुप को रामेश्वर (राजू) ने फोन करके कहा कि इसकी गर्दन खरवाडी से काट दे तो अनुप ने चेतराम के हाथों पर खरवाडी की मारी, जिससे उसके हाथों पर चोट आई है, जिसको राजगढ अस्पताल ले गए, जहां से अलवर और अलवर से जयपुर रैफर कर दिया, जिसकी हालत ज्यादा नाजुक है।"..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87/2026 थाना राजगढ, अलवर अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2) बी.एन.एस. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

04. बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः अपने अग्रिम

जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त बेगुनाह है तथा उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। प्रार्थी अपने घर में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति है, जिसके बंद हवालात रहने से उसके परिवारजन के भूखे मरने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त नांगलधर्मू तहसील राजगढ, अलवर का निवासी है, जिसके जमानत के दौरान कही फरार होने का अंदेशा नहीं है। ऐसी स्थिति में मानवीय एवं संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

05. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आवेदन का कडा विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा प्रार्थी मशकन से रूहपोश है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

06. उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07. केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नामजद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अभी तक के अनुसंधान से धारा 115(2), 126(2), 118(2)/49 भारतीय न्याय संहिता के अपराध प्रमाणित माने गये है एवं प्रकरण अभी अनुसंधान अधीन है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न है।

क्र. सं.	मु0नं0	धारा	थाना	परिणाम
1.	162/2023	379 भा0द0सं0 व 4/21 एमएमडीआर एक्ट व 54, 60 एमएमसीआर एक्ट	—	—
2.	424/2020	379 भा0द0सं0 व 4/21 एमएमडीआर एक्ट व 54, 60 एमएमसीआर एक्ट	मालाखेडा, अलवर	—
3.	74/2019	379 भा0द0सं0 व 4/21 एमएमडीआर एक्ट	बसवा, दौसा	—
4.	520/2018	323, 341, 324 सपठित धारा 34 भा0द0सं0	—	जरिये राजीनामा दोषमुक्त

08. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 04 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें से एक मुकदमें में प्रार्थी जरिये राजीनामा दोषमुक्त हुआ है एवं अन्य तीन मुकदमे वर्तमान में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं किया जाना व मशकन से फरार होना दर्शित होता है।

ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है तथा केस डायरी पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किए जाने बाबत कोई निष्कर्ष इस स्तर पर निकाला जा सके।

09. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

10. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त **रामेश्वर प्रसाद उर्फ राजू** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)

11. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)